न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/21 निर्णय दिनांकः– 09-11-2023
(जीसीएमएस संख्या 2021/121)

1. गौरीशंकर पुत्र पन्नालाल ओझा जाति ब्राहमण निवासी हनुमान मंदिर के पास, ओझों का चौक, तहसील व जिला बीकानेर जरिये मुख्त्यारआम बलदेव पुरोहित पुत्र प्रेमरतन पुरोहित जाति ब्राहमण निवासी बिन्नाणियों का चौक, दुजारियों की गली, बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 08–07–1991
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 08–07–1991 जिसके द्वारा अपीलांट को भूमिहीन श्रेणी में पात्रता से कम भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट् को चक 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया तथा अपीलांट् को चक 8 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/60 के किला नम्बर 2 ता 10, 13, 14, 17 ता 19, 21 ता 25 में 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। कालान्तर में सीएडी से चक 8–9 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/60 में किला नम्बर 17, 18, 24 व 25 में 4 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 2 ता 10, 13, 14, 18, 21 ता 23 में 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट् को उसकी पात्रता से कम भूमि का आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पात्रता के अनुसार भूमि आवंटन किये जाने बाबत् बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक पर अपीलांट् को उसकी पात्रता के अनुरूप भूमि का आवंटन नहीं करते हुए अपीलांट् को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् की पात्रता से भूमि कम किये जाने के संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट की भूमि को कम किया गया है, जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—07—1991 के विरूद्व अपील दिनांक 22—03—21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को पात्रता के अनुसार भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08—07—1991 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22—03—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती वे न्यायालय के दिन—प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किये जाने के कारण प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट् को 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया तथा अपीलांट् को चक 8 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/60 के किला नम्बर 2 ता 10, 13, 14, 17 ता 19, 21 ता 25 में 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कालान्तर में सीएडी से चक 8–9 एनएसएम के मुरब्बा नम्बर 170/60 में किला नम्बर 17, 18, 24 व 25 में 4 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 2 ता 10, 13, 14, 18, 21 ता 23 में 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि कर दी गई। इस प्रकार अपीलांट् को उसकी पात्रता से कम भूमि का आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए पात्रता के अनुसार भूमि आवंटन की मांग किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को आज दिनांक तक उसकी पात्रता के अनुसार भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त कृत्य से व्यथित होकर ही अपीलांट् को उच्चतर न्यायालय की शरण में आते हुए अपनी पात्रता के अनुसार भूमि आवंटन की मांग की गई है। प्रकरण में चूंकि यह तथ्य निर्विवाद है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट् को 20 बीघा कमाण्ड भूमि का पात्र घोषित किया गया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट् की पात्रता के अनुसार ही भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। जोकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करते हुए अपीलांट् को उसके विधिक अधिकारों से वंचित जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उसकी पात्रता के अनुरूप भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 9/11/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर